न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 46/2006

1 भालाराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। फौत

1/1 बकलावरी पत्नी स्व भालाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। फौत

1/2 सहीराम पुत्र स्व भालाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

1/3 प्रतापसिंह पुत्र स्व भालाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

1/4 किस्तुरी पुत्री स्व भालाराम पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

1/5 संतोष पुत्री भालाराम पत्नी सत्यवीर जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

1/6 कमला पुत्री स्व भालाराम पत्नी कपिल जाति जाट निवासी गाडाखेडा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

1/7 अनिता पुत्री भालाराम पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

2 मु. केशर पत्नी फुलाराम जाति जाट निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

3 दलिप पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। फौत

3/1 सुमन पत्नी स्व श्री दलीप जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

3/2 संगीता पुत्री स्व. श्री दलीप जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

3/3 आशा पुत्री स्व. श्री दलीप जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

3/4 सुनिल पुत्र स्व. श्री दलीप जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

3/5 सन्जू पुत्री स्व. श्री दलीप जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4 लोकराम पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 विनोद पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 कुरड़ाराम पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। फौत
1/1 कमला पत्नी कुरड़ाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
1/2 राकेश पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
1/3 मुकेश पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
1/4 रिकुं पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 सरदाराराम उर्फ धाराराम पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। फौत
2/1 प्रेमा पत्नी सरदारा राम उर्फ धाराराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2/2 राजेन्द्र पुत्र सरदारा राम उर्फ धाराराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2/3 जगदीश पुत्र सरदारा राम उर्फ धाराराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2/4 सविता पुत्री सरदारा राम उर्फ धाराराम पत्नी कमल सिंह जाति जाट निवासी ओजटु हाल निवासी भामरवासी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 रामजीलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4 जगमाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 नहरसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 विधाधर पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7 महावीर पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। फौत
7/1 राजवीर पुत्री महावीर जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7/2 राजेश उर्फ नगेश पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7/3 बिमला पुत्री महावीर पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी ओजटु हाल निवासी बाकरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7/4 विनोद उर्फ सुआ पुत्री महावीर पत्नी महेश कुमार जाति जाट निवासी ओजटु हाल निवासी बाकरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7/5 सन्तोष पुत्री महावीर पत्नी उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी ओजटु हाल निवासी सरदारपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
7/6 मुन्नी पुत्री महावीर जाति जाट निवासी ओजटू हाल निवासी बनगोठडी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.।
7/7 फुली पत्नी महावीर जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। फौत
8 उमराव सिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.06.2006 बमुकदमा
उनवानी भालाराम बनाम कुरड़ाराम प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा अ.धा. 212 राज. का. अधि. मु.नं. 14/2006
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 22.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2006 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2006के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी, 151 सीपीसी तथा धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 445, 446/713, 448/714, 446, 447, 448, 452 वाके ग्राम औजटू का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य भूमि की खसरा गिरदावरियां पेश की है जिन खसरा गिरदावरियों के अनुसार संवत 2009 से संवत 2033 तक की खसरा गिरदावरियां अपीलान्ट व उनके पूर्वजों की कब्जा काश्त साबित करती है परन्तु विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई गोर न कर उक्त आदेश पारित करते हुये कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्टस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कब्जे की बाबत कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं की है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर अहम कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास न करके व रेस्पोडेन्टस के कथनों पर विश्वास करके अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर अहम कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 16.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

06.2006 देखने से ही स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रिज्यूडिश होकर आरबिट्रेरी व वेग आदेश पारित किया है। कारण कि पक्षकारान की प्लींडिग के अलावा विचारण न्यायालय ने कोई अपील फाईडिंग नहीं दी है केवल मात्र आधा पेज में राजस्व रिकार्ड का वर्णन करके अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारित करते वक्त प्रथम दृष्टया केस व कब्जे की बाबत अपना निष्कर्ष दिया जाना आवश्यक है परन्तु विचारण न्यायालय ने कोई निष्कर्ष निकाले बिना ही केवल मात्र इतना लिखा है कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस नहीं है इस प्रकार का आदेश पारित कर विचारण न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का महत्वपूर्ण बिन्दू जिसके द्वारा असहनीय क्षति का आंकलन किया जाता है विचारण न्यायालय ने तय नहीं किया है इसलिये भी विचारण न्यायालय को उक्त आदेश विरूद्ध कानून होने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने के लिए अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा है। विभाजन से पूर्व सहकाश्तकार को विशेष भू—भाग पर काबिज मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवालोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने के लिए अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा है। विभाजन से पूर्व सहकाश्तकार को विशेष भू—भाग पर काबिज मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झन्झनूं)

जारी किया जाना विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय को मूलवाद के निस्तारण से पूर्व उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को ताफैसला वाद ग्राम ओजटू की भूमि खसरा नम्बर 431 व 436, 82 वाके ग्राम निजामपुरा की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)